



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1391

दिनांक 09.06.2025

जोन- दक्षिणी / थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

■ शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

01- संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.06.2025 को उ0नि0 रामप्रवेश साहनी मय पुलिस टीम के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व वीआईपी ड्यूटी में चौकी क्षेत्र अवध विहार में मामूर था कि सूचना मिली कि डिप्टीगंज कालोनी में दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे हैं इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के मौके पर जाकर देखा तो 1. शिवा रावत पुत्र स्व हरीश रावत 2. कृष्णा रावत पुत्र स्व हरीश रावत नि0गण डिप्टीगंज हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ थाना हाजा पर डिप्टीगंज हरिहरपुर में हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी द्वारा मु0अ0सं0 510/25 धारा 191(2)/351(3) बीएनएस लिखवाये जाने के बात को लेकर मुकदमे से सम्बन्धित वादी अनिल पाल से वाद विवाद करते हुए आमादा फौजदारी हो रहे हैं।

मौके पर हम पुलिस वालो द्वारा शिवा रावत, कृष्णा रावत उपरोक्त काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परन्तु शिवा रावत, कृष्णा रावत उपरोक्त किसी की बात को मानने को तैयार नहीं हुए बल्कि और अधिक उग्र होकर मुकदमा वादी अनिल पाल से आमादा फौजदारी होने लगे । मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल शिवा रावत, कृष्णा रावत उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस आज दिनांक 09.06.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. शिवा रावत पुत्र स्व हरीश रावत निवासी-डिप्टीगंज हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र-25 वर्ष
2. कृष्णा रावत पुत्र स्व. हरीश रावत निवासी-डिप्टीगंज हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 23 वर्ष

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 1390

दिनांक 09.06.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- वादिनी को शादी का झांसा व नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोपी ने किया थाना स्थानीय पर आत्मसमर्पण।

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.05.2025 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षी द्वारा नशीला पदार्थ पिलाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व जबरन दवा खिलाकर गर्भपात कराना, गन्दी-गन्दी गालियां देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 411/25 धारा 123/69/89/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में दिनांक 09.06.2025 को अभियुक्त हेमन्त ब्रिजे प्रताप उर्फ राजन पुत्र महेन्द्र प्रताप निवासी अछती थाना आलापुर जिला अम्बेडकर नगर अपने पिता महेन्द्र प्रताप के साथ स्वयं उपस्थित थाना आये और बताया कि मेरा बेटा हेमन्त ब्रिजे प्रताप उर्फ राजन के विरुद्ध मु०अ०सं० 411/25 का अभियोग पंजीकृत है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाने से अति०निरीक्षक व व०उ०नि० मेरे घर ग्राम अछती थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर दिनांक 08.06.2025 को गये थे, जहां मेरी पत्नी हंसी कुमारी मिली थी। जिन्होंने हम लोगों को अवगत कराया, उनके अवगत कराने पर मैं अपने लडके हेमन्त ब्रिजे प्रताप उर्फ राजन को आप के समक्ष उपस्थित लाया हूँ तत्पश्चात अभियुक्त हेमन्त ब्रिजे प्रताप उर्फ राजन उपरोक्त को, सम्बन्धित विवेचक को अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. हेमन्त ब्रिजे प्रताप उर्फ राजन पुत्र महेन्द्र प्रताप निवासी अछती थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 31 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 411/25 धारा 69/352/351(3) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

04- व्यवसाय-

ऑडिट भवन विभूतिखण्ड लखनऊ मे लेखा परीक्षक (ऑडिटर) के पद पर कार्यरत है।

05- पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, जोन दक्षिणी कमिश्नरेट, लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1389

दिनांक 09.06.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01- संक्षिप्त विवरण –

उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय पुलिस टीम के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व जाँच प्रार्थना पत्र में चौकी क्षेत्र एचसीएल में मामूर था कि सूचना मिली की पिन्टल सोसाइटी बहद ग्राम मस्तेमऊ में एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद सुरक्षा गार्ड के साथ वाद विवाद कर रहा है इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के मौके पर जाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि नरेन्द्र यादव पुत्र राधेलाल निवासी शेखनाघाट मजरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ द्वारा बाउन्ड्री वाल बनाने की बात को लेकर वहाँ पर मौजूद सुरक्षा गार्ड के साथ वाद-विवाद कर आमामादा फौजदारी हो रहा है ।

मौके पर नरेन्द्र यादव उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परन्तु नरेन्द्र यादव उपरोक्त किसी की बात को मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर वहाँ पर मौजूद गार्डों के साथ आमामादा फौजदारी होने लगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल सरवन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अभियुक्त नरेन्द्र यादव पुत्र राधेलाल नि0 शेखनाघाट मजरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष

03-पुलिस टीम-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 1387

दिनांक- 09.06.2025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद

- शान्ति व्यवस्था भंग करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.06.2025 को थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम नजरनगर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ में पुरानी बात को लेकर दोनो पक्षो में विवाद हो रहा था। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा प्रथम पक्ष के अनिल कुमार पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद निवासी पता ग्राम भुलभूला खेडा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष को को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो वह द्वितीय पक्ष के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया।

शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अभियुक्त 1. अनिल कुमार पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद निवासी पता ग्राम भुलभूला खेडा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में आज दिनांक 09.06.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया अभि० उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. अनिल कुमार पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद निवासी पता ग्राम भुलभूला खेडा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष (व्यवसाय - मजदूरी)।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद

1. म०३०नि० राखी वर्मा
2. ३०नि० अमन कुमार श्रीवास्तव



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 1385

दिनांक-09.06.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- सर्विलांस/क्राइम टीम पूर्वी जोन व थाना गोमतीनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर लूटरे/ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार अभियुक्तों गण से मु०अ०सं० 227/25 धारा 304(2) बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर व मु०अ०सं० 76/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना विकासनगर लखनऊ से सम्बन्धित 03 अदद पीली धातु के चैन के टुकडे व 6000 रुपये नकद एवं घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल स्पेलन्डर बरामद किये गये।

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 06.06.2025 को आगन्तुका/वादिनी श्रीमती मन्जू श्रीवास्तव पत्नी श्री विजय श्याम लाल के प्रा० पत्र बावत - सहारा प्लाजा गेट नं०-1 के पत्रकारपुरम गोमतीनगर से बाइक सवार तीन व्यक्तियों द्वारा वादिनी की सोने की चेन छीन लेने विषयक प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 227/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० श्री प्रेम कुमार को सुपुर्द हुयी।

उपरोक्त अभियोग का सफल अनावरण व अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगणों द्वारा टीम गठित की गयी थी। आज दिनांक 9.6.2025 को पुलिस टीम द्वारा ग्वारी चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि एक बाईक काले रंग की आती दिखाई दी पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो बाईक सवार तेजी से घुमाते हुए ग्वारी फ्लाईओवर के नीचे वाले रास्ते से भागने लगे पुलिस टीम द्वारा भागे व्यक्तियों का पीछा कर पकड लिया गया। पकडे गये अभियुक्तगण 1- दीपक सोनी पुत्र वीरेन्द्र सोनी निवासी गोमती चक्की के पीछे विधायक चौराहा थाना चिनहट लखनऊ उम्र 19 वर्ष, 02-लकी कश्यप पुत्र श्रवण कश्यप निवासी सतरिक रोड बडी मस्जिद के पीछे कहारन टोला थाना चिनहट उम्र 19 वर्ष, 03- सुमित कश्यप पुत्र दिनेश कश्यप निवासी सतरिक रोड बडी मस्जिद के पीछे कहारन टोला थाना चिनहट उम्र 18 वर्ष से 03 अदद पीली धातु के चैन के टुकडे व 6000 रुपये नकद एवं घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल स्पेलन्डर रंग काला गाडी नं० UP32PW2426 बरामद हुयी।

अभियुक्तगण से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि थाना क्षेत्र के सहारा प्लाजा पत्रकारपुरम से दिनांक 06.6.2025 की शाम को एक महिला से चैन छिनैती की थी व चैन के तीन टुकडे कर अभियुक्तगणों द्वारा आपस में बांट लिये गये थे एवं दिनांक 30.05.25 की रात 09 बजे के करीब सीएमएस स्कूल थाना विकासनगर क्षेत्र मे भी अभियुक्तगण द्वारा ऐसे ही एक लाल रंग की स्कूटी पर बैठी महिला से गले की चैन छिनी थी। जिसे बेंचकर रुपये प्राप्त कर आपस में बांट लिया था। उसमे से जो 6000 रुपये बचे उसे अभियुक्तगण से पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया। उक्त दोनो घटनाओं के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 227/2025 धारा 304(2) बीएनएस व थाना विकासनगर पर मु०अ०सं० 76/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1388

दिनांक-09.06.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर वादी की बहन, भांजे व अन्य एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर देने (जिसमें वादी के भांजे की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने) के आरोपी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.06.2025 को वादी मुकदमा श्री मनोज पुत्र चन्द्रिका निवासी ग्राम जलालीपुर देहात हरगांव थाना हरगांव जनपद सीतापुर द्वारा तहरीर दी गयी जिसमें विपक्षी द्वारा कार को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी की बहन, भांजे व अन्य एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार देना जिससे वादी के भांजे की दौराने इलाज मृत्यु हो जाना एवं बहन पूनम व गया प्रसाद को गम्भीर चोटें आने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/2025 धारा 281/125बी/106(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया है ।

अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त सुनील मौर्या पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम बगहा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र 36 वर्ष को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.06.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है ।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा कार को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी की बहन, भांजे व अन्य एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार देना जिससे वादी के भांजे की दौराने इलाज मृत्यु हो जाना एवं बहन पूनम व गयाप्रसाद को गम्भीर चोटें आना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुनील मौर्या पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम बगहा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र 36 वर्ष वर्ष (व्यवसाय- सुपरवाइजर)

04-बरामदगी:-

- घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर सं. UP 32 QJ 7501

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार भारती थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 दीपक तोमर थाना इटौंजा लखनऊ

02- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1-दीपक सोनी पुत्र वीरेन्द्र सोनी निवासी गोमती चक्की के पीछे विधायक चौराहा थाना चिनहट लखनऊ उम्र 19 वर्ष
- 2-लकी कश्यप पुत्र श्रवण कश्यप निवासी सतरिक रोड बडी मस्जिद के पीछे कहारन टोला थाना चिनहट उम्र 19 वर्ष
- 3-सुमित कश्यप पुत्र दिनेश कश्यप निवासी सतरिक रोड बडी मस्जिद के पीछे कहारन टोला थाना चिनहट उम्र 18 वर्ष

03-अनावरित अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 227/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमती नगर लखनऊ
- 2- मु0अ0सं0 76/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना विकासनगर लखनऊ

04-बरामदगी:-

- 03 अदद पीली धातु के चैन के टुकड़े (मु0अ0सं0 227/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
- 6000 रुपये नकद (मु0अ0सं0 76/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना विकासनगर लखनऊ से सम्बन्धित)
- घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल स्पलेन्डर रंग काला गाडी नं0 UP32PW2426 (एमवी एक्ट में सीज)

05-अभियुक्त लकी कश्यप उपरोक्त काआपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 293/2024 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना चिनहट लखनऊ

06-अभियुक्त सुमित कश्यप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 551/22 धारा 363/366 भादवि थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।

नोट- अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना गोमतीनगर	सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
श्री पंकज कुमार सिंह कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक	उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया
उ0नि0 श्री प्रेम कुमार	हे0का0 संदीप पाण्डेय
उ0नि0 आनंद कुमार यादव	का0 सुमित कुमार
उ0नि0 श्री मनोज यादव	का0 शिवानन्द खरवार
उ0नि0 श्री सूर्यसेन	का0 तरनजीत
कां0 पंकज कुमार	का0 अजय यादव
कां0 अंकुर चौधरी	का0 विमल चन्द्र
कां0 आकाश यादव	का0 प्रदीप कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं०-1386

दिनांक-09.06.2025

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- माल व सआदतगंज क्षेत्र के मनबद् एवं दबंग व्यक्तियों को उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

कार्यवाही-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्या:-45(11)/2025 व 377(17)/2024 से सम्बन्धित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षीगण के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षीगण को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र० सं०	वाद सं०	नाम पता विपक्षीगण	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	
सआदतगंज	1	377(17)/2024	अनीस पुत्र मो० रईश निवासी 426/1518/27 वजीरबाग शाही बड़ी मस्जिद, थाना सआदतगंज लखनऊ	1	55/2018	379/411 भा०द०वि०	सआदतगंज	06 माह
				2	91/2018	379/411 भा०द०वि०	पारा	
				3	70/2019	379 भा०द०वि०	बाजारखाला	
				4	71/2019	3/25 आर्म्स एक्ट	बाजारखाला	
				5	596/2019	379/411 भा०द०वि०	हसनगंज	
				6	59/2021	379/411 भा०द०वि०	चिनहट	
				7	484/2021	380/411 भा०द०वि०	चिनहट	
				8	493/2021	379/411 भा०द०वि०	चिनहट	
				9	354/2021	392/411 भा०द०वि०	पारा	
				10	596/2021	41/411 भा०द०वि०	चिनहट	
				11	173/2022	392/411 भा०द०वि०	तालकटोरा	
				12	219/2022	392/411 भा०द०वि०	दुबंगा	
				13	256/2022	392/411 भा०द०वि०	दुबंगा	
				14	263/2023	392/411 भा०द०वि०	तालकटोरा	
				15	264/2023	392/411 भा०द०वि०	तालकटोरा	
				16	162/2023	392/411 भा०द०वि०	बाजारखाला	
माल	2	45(11)/2025	बच्चू लाल पुत्र गोपी निवासी मंझी निकरोजपुर थाना माल, लखनऊ	1	23/2025	115(2)/352/351(2) बी०एन०एस०	माल	06 माह
				2	84/2024	323/504/506 भा०द०वि०	माल	
				3	14/2023	457/380/411 भा०द०वि०	माल	
				4	13/2023	457/380/411 भा०द०वि०	दुबंगा	
				5	432/2022	380/511 भा०द०वि०	बी०के०टी०	